सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

**प्रार्थना पत्र संख्याः 03 / 18** **निर्णय दिनांक—11.06.2018**

1. स्वतन्त्र सिंह पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर निवासी हजीमपूरा तहसील बहरोड़ हाल चक 20 केएचएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण

**—बनाम—**

1. सुरजभान बिश्नोई (आरटीएस) हाल तहसीलदार, खाजुवाला

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र बावत 39 नियम 2 ए एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी**

**उपस्थितः—**

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री कृष्ण बेनीवाला, अभिभाषक अप्रार्थीगण

**—निर्णय—**

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27—12—2017 का अप्रार्थीगण द्वारा उल्लंघन किया गया है के विरुद्व इस न्यायालय में आदेश 39 नियम 2 ए जाब्ता दीवानी के तहत पेश किया है।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण को वादगत् भूमि चक 20 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 199 / 10 तादादी 24.10 बीघा भूमि विशेष आवंटन में विधिवत आवंटन की गई थी। आवंटन पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा कुछ किश्ते तत्समय ही खजानाराज में

जमा करवा दी गई थी। मात्र एक किश्त राशि रूपये 13688/— समय पर अदा नहीं कर पाने पर तत्कालीन सक्षम अधिकारी सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 28—12—1999 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व तत्कालीन क्षेत्राधिकार प्राप्त अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उनके समक्ष जैरकार अपील संख्या 300/2000 बउनवानी स्वतन्त्र सिंह बनाम सरकार में दिनांक 08—02—2001 को एक माह में बकाया राशि जमा करने पर आवंटन बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश की अवधि न्यायालय हाजा द्वारा बढ़ाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—10—2017 के माध्यम से दो माह में बकाया राशि जमा कराने के आदेश प्रदान किये गये।

उन्होंने आगे बताया कि उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी तहसीलदार के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर दिनांक 06—12—2017 को एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर टी.आर.ए. रिपोर्ट, पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर वादगत् भूमि अधिसूचना क्रमांक 3 (17)राज/उप/187/जयपुर दिनांक 14—10—1988 के क्रम संख्या 94 पर पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित बताते हुए बकाया राशि जमा नहीं की गई तथा दिनांक 20—12—2017 को प्रमाणित नकल देते हुए मौखिक रूप से किश्त जमा कराने से इंकार कर दिया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने आगे बताया कि अप्रार्थी द्वारा वादगत् भूमि पोंगबांध हेतु आरक्षित बताकर विवादित कर दी गई व जानबूझकर श्रीमान् के आदेश दिनांक 27—10—2017 की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा इस पर सूचना के अधिकार के तहत उक्त वर्णित अधिसूचना की प्रति चाही तो दिनांक 15—01—2018 को अधिसूचना की प्रति प्राप्त हुई जो पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित ना होकर विशेष आवंटन हेतु नियम 13ए उपनिवेशन नियम 1975 के तहत जारी अधिसूचित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर न्यायालय हाजा के आदेशों

की पालना नहीं की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा उक्त अधिसूचना की आड़ में बकाया राशि जमा नहीं की जा रही है। प्रार्थी आज भी किश्तें जमा कराने को तैयार है। अप्रार्थीगण द्वारा यह कहना कि हम न्यायालय के आदेश को नहीं मानते है, न्यायालय हाजा की अवमानना की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश को ना मान कर न्यायिक आदेश की अवमानना की है। इसलिए अप्रार्थीगण न्यायालय की अवमानना के दोषी होने से दण्डित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एविं अप्रार्थीगण को न्यायालय की अवमानना के कारण दण्डित किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 20 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 199/10 के बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27—10—2017 को आदेश पारित किया गया था कि यदि वादगत् भूमि अन्य किसी को आवंटन नहीं हो, विवाद रहित हो या अन्य किसी के हित प्रभावित नहीं हो तो नियमानुसार बकाया राशि मय ब्याज जमा करावाये जावे। उक्त आदेश एवं प्रथम अपील न्यायालय के मध्य राज्य सकरार द्वारा वादगत् भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में जब वादगत् भूमि पोंग बांध हेतु आरक्षित हो चुकी है इस कारण से वादगत् भूमि विवादित है तथा इससे पोंग बांध विस्थापितों के हित प्रभावित हो रहे है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा कराने हेतु प्रार्थी स्वतन्त्र सिंह कभी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। प्रकरण में अन्य व्यक्ति की इस संबंध में कार्यवाही कर रहा है। प्रकरण में यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रार्थी स्वतन्त्र सिंह स्वयं जीवित भी है या न हीं? अवमानना प्रार्थना पत्र में जिस रामसिंह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वह भी कभी भी अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित नहीं आया है ना ही उसने मुख्त्यारनामा आम पेश किया हैं। प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर आवंटन पत्रावली की प्रमाणित नकल भी प्रस्तुत नहीं की गई है। वादगत् भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना

क्रमांक क्रमांक 3 (17)राज/उप/187/जयपुर दिनांक 14—10—1988 के क्रम संख्या 94 पर पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित की जा चुकी है। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि यदि वादगत् भूमि अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं हो, विवादरहित हो या अन्य किसी के हित प्रभावित नहीं हो तो नियमानुसार बकाया राशि मय ब्याज उक्त आदेश प्रसारण की अवधि से दो माह के अन्दर—अन्दर जमा करायें।

उक्त आदेश में स्वतः ही अंकित है कि यदि वादगत् भूमि में अन्य किसी के हित प्रभावित नहीं हो तो ऐसीस्थिति में बकाया राशि जमा करवाई जावे। प्रकरण में चूंकि वादगत् भूमि पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में पोंग बांध विस्थापितों के हित प्रभावित होना स्वाभाविक है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के अनुसरण में ही कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा अदालतवाला के किसी आदेश की अवहेलना करना इस विभाग की मन्शा नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में वादगत् भूमि चक 20 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 199/10 तादादी 24.10 बीघा भूमि विशेष आवंटन में विधिवत आवंटन की गई थी की मात्र एक किश्त राशि रूपये 13688/— समय पर अदा नहीं कर पाने पर तत्कालीन सक्षम अधिकारी सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 28—12—1999 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व तत्कालीन क्षेत्राधिकार प्राप्त अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उनके समक्ष जैरकार अपील संख्या 300/2000 बउनवानी स्वतन्त्र सिंह बनाम सरकार में दिनांक 08—02—2001 को एक माह में बकाया राशि जमा

करने पर आवंटन बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश की अवधि न्यायालय हाजा द्वारा बढ़ाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—10—2017 के माध्यम से दो माह में बकाया राशि जमा कराने के आदेश प्रदान किये गये।

(2) न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 27—10—2017 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि यदि वादगत् भूमि अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं हो, विवादरहित हो या अन्य किसी के हित प्रभावित नहीं हो तो नियमानुसार बकाया राशि मय ब्याज जमा उक्त आदेश प्रसारण की अवधि से दो माह के अन्दर—अन्दर जमा करावें। उक्त आदेश के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा बकाया राशि जमा कराने की कार्यवाही किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि वादगत् भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक कमांक 3 (17)राज / उप / 187 / जयपुर दिनांक 14—10—1988 के कम संख्या 94 पर पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित की जा चुकी है।

(3) प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27—10—2017 के अंतिम पैरा में स्पष्टतः उल्लेखित है कि वादगत् आराजी अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं हो, विवादरहित हो या अन्य किसी के हित प्रभावित ना हो तेा नियमानुसार बकाया राशि मय ब्याज उक्त आदेश प्रसारण की तिथि से दो माह के अन्दर—अन्दर जमा करावें। चूंकि वादगत् भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक कमांक 3 (17)राज / उप / 187 / जयपुर दिनांक 14—10—1988 के कम संख्या 94 पर पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित की जा चुकी है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि प्रार्थी ने तथ्य छिपाते हुए उक्त आदेश प्राप्त किया है। लिहाजा वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। संबंधित तहसीलदार द्वारा अपने कर्तव्य की पालना की गई है। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की अवमानना कारित नहीं की है।

(4) प्रकरण में चूंकि वादगत् भूमि पोंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है तथा न्यायालय हाजा द्वारा भी अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि यदि वादगत् भूमि से किसी अन्य के हित प्रभावित ना हो तो नियमानुसार बकाया राशि मय ब्याज जमा करावें। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर पोंग बांध विस्थापितो के हित प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना के संबंध में प्रार्थीगण ने कोई स्वतन्त्र साक्ष्य पेश नहीं की है। अप्रार्थीगण ने राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रार्थीगण के विरुद्व कार्यवाही की है जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर